अध्याय V: अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत ब्याज

5.1 प्रस्तावना

आयकर अधिनियम, (इसके पश्चात 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) 1961 की धाराएं 234ए, 234बी तथा 234सी में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरो पर निर्धारिती की तरफ से होने वाली चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 244ए में ब्याज के भुगतान का प्रावधान है यदि निर्धारिती को देय प्रतिदाय के भुगतान में देरी होती है।

निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी), आयकर विभाग (आई.टी.डी.) का एक सॉफ्टवेयर मॉडयूल अन्य के साथ-साथ, अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ब्याज तथा कर की संगणना का कार्य करता है। यह निर्धारिती के व्यक्तिगत चालू बही खातों (आईआरएलए)[64] में से प्रीपेड करों अर्थात अग्रिम कर तथा स्व-निर्धारण कर का विवरण स्वत: लेने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उसके द्वारा देय राशि या किसी प्रतिदाय राशि का निर्धारण किया जा सके। हालांकि, एएसटी मॉडयूल, निर्धारण अधिकारी (एओ) को शीर्ष 'संशोधित' के अंतर्गत अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत ब्याज के मूल्य को संशोधित करने की अनुमति देता है।

आयकर विभाग, 2017 में, एएसटी तथा आयकर विभाग के अन्य मॉडयूल की कारोबार प्रक्रिया को दोबारा लिखकर प्रक्रिया/निर्धारणों के इलेक्ट्रॉनिक आयोजन के लिए इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन (आईटीबीए) मॉडयूल को अपनाया जो अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत ब्याज में आशोधन के संबंध में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करेगा।

5.2 हमने यह विषय क्यों चुना

इस विषय को चुनने के कारण निम्न है:

(क) पूर्व अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि यद्यपि प्रणाली (एएसटी) ने अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत ब्याज की सही राशि की संगणना की, परंतु उसे प्रभार्य ब्याज को बढ़ाने या घटाने के लिए निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा हस्त्य रूप से संशोधित किया गया था।

---

[64] आईआरएलए प्रणाली को निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए संग्रहण तथा सृजित सभी मांगो के रिकार्ड को एक समेकित तरीके तथा एक ही स्थान पर रखने के लिए विकसित किया गया था।

(ख) हमने यह भी पाया कि निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली में संशोधन, जिसमें ब्याज का अतिप्रभार शामिल था के द्वारा प्रतिदाय को रोक दिया था।

(ग) हमें उपरोक्त जानकारी को साझा करते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि निर्धारण अधिकारी प्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप से निर्धारतियों के प्रतिदाय को रोक रहे थे।

इसीलिए, हमने इस लेखापरीक्षा के द्वारा उपरोक्त पहलुओं को अधिक व्यापक तरीके से कवर करने का निर्णय लिया था।

5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या आय के रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक, अग्रिम कर के भुगतान में चूक/आस्थामन, तथा निर्धारती को देय प्रतिदाय के भुगतान में देरी के कारण सृजित ब्याज राशि की सही गणना हेतु प्रणाली मौजूद थी।

उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उप-उद्देश्य है:

1. क्या निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्त्य रूप से संशोधित प्रणाली द्वारा संगणित ब्याज अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप था?

2. क्या प्रणाली के माध्यम से संगणित ब्याज निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारती को देय प्रतिदाय को अवरूद्ध करने के लिए हस्त्य रूप से संशोधित किया गया था?

3. क्या आईटीबीए के कार्यान्वयन के पश्चात, प्रणाली के माध्यम से ब्याज की संगणना ठीक की गई है तथा इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं था?

5.4 कानूनी ढ़ांचा

अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी, 244ए के प्रावधानों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:

धारा	प्रावधानों का संक्षेप
धारा 234ए	अधिनियम की धारा 234ए में निर्दिष्ट दरों तथा निर्दिष्ट समयावधि पर आय के रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है।
धारा 234बी	अधिनियम की धारा 234बी में निर्दिष्ट दरों तथा निर्दिष्ट समयावधि पर अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है/
धारा 234सी	अधिनियम की धारा 234सी निर्दिष्ट दरों तथा निर्दिष्ट समयावधि पर अग्रिम कर की किश्तो के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान है।

धारा 244ए	अधिनियम की धारा 244ए में निर्दिष्ट दरों तथा निर्दिष्ट समयावधि पर स्रोत पर जमा कर (टीसीएस) या स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) अग्रिम कर का अधिक भुगतान के कारण प्रतिदाय पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान है।

अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत ब्याज से संबंधित कानूनी प्रावधानों का विवरण परिशिष्ट-5.1 में दिया गया है।

5.5 लेखापरीक्षा आवृत्त क्षेत्र

लेखापरीक्षा में अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत ब्याज के मामलों के नमूने शामिल किए गए है जिसे वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में पारित आदेश तथा एएसटी में प्रक्रमण के दौरान संशोधित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में लिए, लेखापरीक्षा ने उन मामलों[65] को कवर किया जो अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अन्तर्गत ब्याज की संगणना के संबंध में जांच के लिए आइटीबीए में संसाधित/पूर्ण किए गए थे।

5.6 नमूना आकार

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत एएसटी में संसाधित करने के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधित ब्याज पर निर्धारिती-वार डेटा प्रस्तुत किया जिसमें 8,35,727 अभिलेख शामिल थे। 8,35,727 अभिलेखों में से 6,544 निर्धारण मामलों को जोखिम विश्लेषण के पश्चात लेखापरीक्षा के लिए नमूने के रूप में चुना गया। इसके अलावा, 496 निर्धारण मामलों को नमूने में जोड़ा गया जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में आईटीबीए ने संसाधित/पूर्ण किए गए थे। इसीलिए, लेखापरीक्षा के लिए नमूने के रूप में चयनित कुल 7,040 मामले[66] थे। लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूने का राज्य-वार विवरण ***परिशिष्ट-5.2*** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 7,040 मामलों के अलावा, हमने 134 उच्च मूल्य वाले मामलों को भी शामिल किया जहाँ हमने अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी तथा 234सी के अन्तर्गत 2018-19 की अवधि के लिए आयोजित नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान ब्याज पर अभियुक्तियों को पाया।

---

[65] वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए नमूना के लिए चयनित मामलों को वित्तीय वर्ष 2018-19 तक बढ़ा दिया गया था जिनको वित्तीय वर्ष 2018-19 में आईटीबीए द्वारा संसाधित/पूर्ण किया गया था।

[66] 7,040 मामलों में शामिल 4,810 विशिष्ट निर्धारिती

5.7 अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

अपेक्षित 7,040 मामलों में से, 6,713 मामलें (6,217 मामलें[67] + 496 मामलें[68]) लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए । अप्रस्तुत अभिलेख मांगे गए अभिलेखों का 4.64 *प्रतिशत* था। अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण चयनित नमूना के पूर्ण कवरेज में एक बाधा थी। आयकर विभाग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न करने के लिए दिए गए कारण सीआईटी (छूट), अभियोजना परिषद, सतर्कता अपील के पास रिकार्ड तथा आसानी से उपलब्ध न होने वाले अभिलेख थे।

5.8 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए 6,217 मामलों (वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में संसाधित/पूर्ण किए गए एएसटी मामले) में हमने मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए एएसटी प्रणाली में उचित जाँच का अभाव तथा ब्याज की सही राशि की संगणना में एएसटी प्रणाली में कमियां देखी। हमें अनुपालन मामलों से संबंधित उदाहरण भी मिले जहाँ निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज को संशोधित नहीं किया या यदि संशोधित किया तो गलत तरीके से संशोधित किया। दूसरी ओर, निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज को संशोधित किया जिससे ब्याज का कम/अधिक उद्ग्रहण हुआ था। ऐसे उदाहरण भी पाए गए जहाँ ब्याज घटक को संशोधित करके निर्धारती को देय प्रतिदाय को अवरूद्ध किया गया जिससे निर्धारिती को अनुचित परेशानी तथा उनका उत्पीड़न हुआ। हमने 4,767 निर्धारण मामलों[69] के संबंध में अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अन्तर्गत 7,385[70] अभियुक्तियां पाई जिनका कर प्रभाव ₹ 19,09,054.91 लाख[71] था और ₹ 4,39,571.21 लाख/ ₹ 5,274.59 लाख मूल्य के ब्याज का प्रतिदाय अवरोधन/परिहार्य व्यय हुआ।

हमने प्रणालीगत मामले भी देखे जहां अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अन्तर्गत ब्याज के संबंध में क्रमश: 1,400 मामलों,

---

[67] वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए एएसटी द्वारा प्रक्रमित/पूर्ण; 6,217 मामलों में शामिल 4,551 विशिष्ट निर्धारती

[68] वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आईटीबीए द्वारा संसाधित/पूर्ण; 496 मामलों में शामिल 354 विशिष्ट निर्धारती

[69] धाराओं 234ए, 234बी तथा 234सी के अन्तर्गत् ₹14,46,070.93 लाख ब्याज राशि का अधिक उद्ग्रहण तथा ₹1,46,462.46 लाख के ब्याज राशि का कम उद्ग्रहण; धारा 244ए के अन्तर्गत ₹2,05,380.06 लाख की ब्याज राशि का अधिक भुगतान तथा ₹1,11,141.46 लाख ब्याज राशि का कम भुगतान

[70] 4,767 निर्धारणों के संबंध में 7,385 उदाहरणों में 3,486 विशिष्ट निर्धारिती शामिल है।

[71] 7,385 मामलों के संबंध में कुल कर प्रभाव ₹20,51,183.77 लाख है; हांलाकि, उसी निर्धारण वर्ष के लिए उसी निर्धारती के संबंध में 958 मामले 7,385 में शामिल है परन्तु इनका निर्धारण अलग से हुआ, इसीलिए प्रभावी कर प्रभाव ₹19,09,054.91 लाख है।

1,744 मामलों, 1,900 मामलों तथा 1,585 मामलों में एएसटी प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना की गई थी।

इसके अतिरिक्त, हमने इन्कम टैक्स बिज़नेस एप्लीकेशन (आईटीबीए) जिसे 2017 में एएसटी की कार्यपद्धति में सुधार के बाद अपनाया गया था, के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना के मामले भी देखे। हमने 2018-19 की अवधि के लिए हमारी नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी तथा 234सी के अन्तर्गत ब्याज की संगणनाओं में त्रुटियां भी देखी। वि.व. 2018-19 में आईटीबीए के माध्यम से प्रसंस्कृत/पूर्ण किए गये 496 मामलों में से, 32 मामलों में हमने पाया कि ₹ 2,297.95 लाख[72] के कर प्रभाव सहित ब्याज की गलत संगणना की गई थी।

2018-19 की अवधि के लिए संचालित हमारी नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, हमे अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी तथा 234सी के अंतर्गत ब्याज की संगणना मे त्रुटियों से संबंधित 134 मामले मिले, जिनमें ₹ 1,10,269.82 लाख[73] का कर प्रभाव शामिल था।

6,217 लेखापरीक्षित मामलों से संबंधित निष्कर्षों (वि.व. 2016-17 तथा वि.व. 2017-18 में प्रसंस्कृत/पूर्ण एएसटी मामले) पर इस प्रतिवेदन के **पैरा 5.8.1** से **पैरा 5.8.4 तक** में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, आईटीबीए मामलों से संबंधित निष्कर्षों पर इस प्रतिवेदन के **पैरा 5.8.5** में चर्चा की गई है तथा हमारी नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मामलों पर **पैरा 5.8.6** में चर्चा की गई है।

हमने अप्रैल 2020 में टिप्पणियों के लिए यह प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय को भेजा था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

5.8.1 प्रणाली (एएसटी) के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना

संवीक्षा निर्धारण से पहले सभी आयकर रिटर्नों (आईटीआर) को सर्वप्रथम केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी), बैंगलुरू में धारा 143(1) में अंतर्गत एक साथ प्रसंस्कृत किया जाता है, इस प्रकार सारांश निर्धारण से संबंधित सारा डेटा सीधे एएसटी में दर्ज हो जाता है। संवीक्षा मामलों के संबंध में निर्धारण

---

[72] धारा 234ए, 234बी तथा 234सी के अंतर्गत ₹284.29 लाख की राशि के ब्याज का कम उद्ग्रहण तथा ₹1,635.24 लाख की राशि के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण; धारा 244ए के अंतर्गत ₹370.91 लाख की राशि के ब्याज का कम भुगतान तथा ₹7.52 लाख की राशि के ब्याज का अधिक भुगतान हुआ।

[73] धारा 234ए, 234बी तथा 234सी के अंतर्गत ₹65,796.38 लाख की राशि के ब्याज का कम उद्ग्रहण तथा ₹44,473.44 लाख की राशि के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण।

आदेश के प्रसंस्करण, सुधार, पूर्णता का कार्य सीपीसी से अंतरित सभी रिटर्नों के लिए, आयकर विभाग मॉड्यूल के भाग के रूप में, एएसटी मॉड्यूल में निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाता है। एएसटी, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर की संगणना और ब्याज की संगणना का निर्धारण कार्य करता है। संवीक्षा निर्धारण, सुधारकार्य, क्षेत्रीय कार्यालयों में अपील प्रभाव आदेश के मामलें में, आंकड़े आदेशों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रणाली में फीड किऐ जाते है। वृद्धि के अन्तर्गत आय के विभिन्न शीर्षों में प्रविष्ट किए नए नये आंकडों के साथ अंतिम मांग हेतु संगणना शीट बनाई जाती है।

हमने अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत एएसटी प्रणाली के माध्यम से की गई, ब्याज की संगणना की जांच की। अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत ब्याज के संबंध में क्रमश:[74] 1,400 मामलों, 1,744 मामलों, 1,900 मामलों तथा 1,585 मामलों में यह पाया गया कि प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत राशि संगणित की गई है। प्रणाली के माध्यम से संगणित ब्याज की गलत राशि का विवरण नीचे तालिका 5.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.1: प्रणाली के माध्यम से संगणना की गई ब्याज की गलत राशि (₹ लाख में)

	कमसंगणना		अधिकसंगणना	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
धारा 234 ए के अंतर्गत ब्याज	419	12,561.10	981	58,306.18
धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज	593	1,72,452.05	1,151	5,85,792.92
धारा 234 सी के अंतर्गत ब्याज	696	24,640.48	1,204	1,43,547.74
धारा 244 ए के अंतर्गत ब्याज	1,103	2,09,880.50	482	1,50,138.59

प्रणाली के माध्यम से ब्याज की संगणना में की गई त्रुटि की प्रवृति (*प्रतिशत* में)[75] नीचे चार्ट में दर्शाई गई है:

[74] हमने एक धारा के अंतर्गत् 2921 मामलों में, दो धाराओं के अंतर्गत 831 मामलों में, तीन धाराओं में अंतर्गत 524 मामलों में तथा सभी चार धाराओं (234ए/234बी/234सी/244ए) के अंतर्गत 108 मामलों में गलतियां पाई।

[75] धारा 234ए के अंतर्गत 6,160 मामलों में से 1,400 मामले, धारा 234बी के अंतर्गत 6,140 मामलों में से 1,744 मामले, धारा 234सी के अंतर्गत 6,048 मामलों में से 1,900 मामले तथा धारा 244ए के अंतर्गत 6,129 मामलों में से 1,585 मामले

चार्ट 5.1

***प्रतिशत* में प्रणाली (एएसटी) के माध्यम से हुई त्रुटियां**

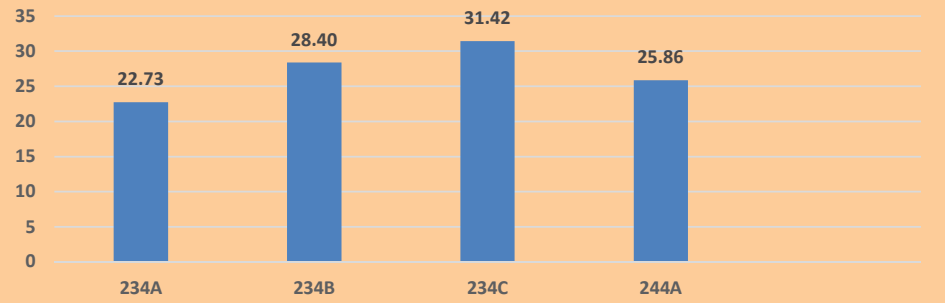

इस प्रकार, ब्याज की संगणना करने में प्रणाली के माध्यम से की गई त्रुटियों की प्रतिशतता अधिनियम की धाराएं 234सी तथा 234बी के संबंध में काफी अधिक थी, जो कुल मामलों का क्रमश: 31 *प्रतिशत* तथा 28 *प्रतिशत* था।

हमने पाया कि अधिनियम की धारा 143(1) (सारांश निर्धारण) के अंतर्गत 774 मामले प्रसंस्कृत किए गए तथा अधिनियम[76] (असारांशीकृत निर्धारण) की अन्य धाराओं के अंतर्गत 5,855 मामलों का निर्धारण किया गया था। अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से प्रसंस्कृत मामलों में की गई त्रुटियों का *प्रतिशत* धाराएं 234ए, 234बी 234सी तथा 244ए के अंतर्गत उद्ग्रहित ब्याज के संबंध में क्रमश: 27.71 *प्रतिशत*[77], 6.59 *प्रतिशत*[78], 3.58 *प्रतिशत*[79], तथा 12.81 *प्रतिशत*[80], था। चूंकि आईटीआर का प्रसंस्करण स्वचालित था और सीपीसी, बैंगलुरू द्वारा केन्द्रीय रूप से किया जाता था, ऐसे मामलों में एएसटी प्रणालियों के माध्यम से ब्याज उद्ग्रहण में त्रुटियों की बारंबारता की संभावना 'शून्य' होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त हमने प्रणाली द्वारा गलत संगणित ब्याज को पैन श्रेणी वार रूप से अलग किया तथा इसकी तुलना कुल लेखापरीक्षित मामलों[81] (जिन्हें भी पैन श्रेणी वार रूप से अलग किया गया था) के साथ की। प्रणाली के माध्यम

---

[76] आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144, 154, 155, 250, 254, 262, 263, 264, 143 (3), 147, 153सी, 153ए और 260ए

[77] 1,400 मामलों में से 388 मामले

[78] 1,744 मामलों में से 115 मामले

[79] 1,900 मामलों में से 68 मामले

[80] 1,585 मामलों में से 203 मामले

[81] 6,217 लेखापरीक्षित मामलों में से लेखापरीक्षा को धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत क्रमश: 6,160 मामलों, 6,140 मामलों, 6,048 मामलों तथा 6,129 मामलों में ब्याज की राशि सुनिश्चित करने हेतु आयकर विभाग से आवश्यक जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हो सके। अत: लेखापरीक्षा धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत क्रमश: 6,160 मामलों, 6,140 मामलों, 6048 मामलों तथा 6,129 मामलों में ब्याज की राशि सुनिश्चित कर सकी।

से पैन श्रेणी वार कुल लेखापरीक्षित मामलों के संबंध में संगणित ब्याज़ में त्रुटि की *प्रतिशत* के विवरण को नीचे तालिका 5.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.2: प्रणाली के माध्यम से गलत संगणना, पैन श्रेणीवार

निर्धारिती का प्रकार	उन मामलों की संख्या जहां धारा 234ए के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज की गणना की गई थी	प्रणाली के माध्यम से धारा 234ए के अंतर्गत कुल लेखापरीक्षित मामलों में अंतर्गत गलत ब्याज का *प्रतिशत*	उन मामलों की संख्या जहां धारा 234बी के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज की गणना की गई थी	प्रणाली के माध्यम से धारा 234बी के अंतर्गत कुल लेखापरीक्षित मामलों की में अंतर्गत गलत ब्याज का *प्रतिशत*	उन मामलों की संख्या जहां धारा 234सी के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज की गणना की गई थी	प्रणाली के माध्यम से धारा 234सी के अंतर्गत कुल लेखापरीक्षित मामलों की में अंतर्गत गलत ब्याज का *प्रतिशत*	उन मामलों की संख्या जहां धारा 244ए के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज की गणना की गई थी	प्रणाली के माध्यम से धारा 244ए के अंतर्गत कुल लेखापरीक्षित मामलों की में अंतर्गत गलत ब्याज का *प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एओपी	17	0.28	21	0.34	40	0.66	33	0.54
बीओआई	6	0.10	4	0.07	8	0.13	11	0.18
कंपनी	320	5.19	619	10.08	741	12.25	767	12.51
फर्म	118	1.92	179	2.92	240	3.97	121	1.97
सरकारी प्राधिकरण							2	0.03
एचयूएफ	27	0.44	19	0.31	13	0.21	12	0.20
कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति	3	0.05	4	0.07	4	0.07	3	0.05
स्थानीय प्राधिकरण	2	0.03	6	0.10	3	0.05	7	0.11
व्यक्तिगत	894	14.51	883	14.38	800	13.23	597	9.74
न्यास	13	0.21	9	0.15	51	0.84	32	0.52
कुल	**1,400**	**22.73**	**1,744**	**28.40**	**1,900**	**31.42**	**1,585**	**25.86**

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि ब्याज की संगणना के लिए, वैयक्तिक निर्धारिती के संबंध में गलती अधिक थी। यह त्रुटि का पैमाना महत्वपूर्ण है क्योंकि वैयक्तिक निर्धारिती कुल कर दाताओं के 90 *प्रतिशत* से अधिक हैं। इसके अतिरिक्त हमने प्रणाली में वैयक्तिक निर्धारिती के संबंध में उन मामलों को अलग किया जहां ब्याज कम/अधिक उद्ग्रहित किया गया था, जिसे नीचे तालिका 5.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.3: वैयक्तिक निर्धारितियों के संबंध में प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना,				
धारा	**कुल मामलो की संख्या (वैयक्तिक निर्धारिती) जहां प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज की संगणना की गई**	**ब्याज का कम उद्ग्रहण (मामलों की संख्या)**	**ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (मामलों की संख्या)**	**वैयक्तिक मामलों के प्रति अधिक उदग्रहण की सं. का *प्रतिशत* जहां प्रणाली के द्वारा गलत ब्याज संगणना की गई थी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
234ए	894	275	619	69.24
234बी	883	315	567	64.29
234सी	800	210	590	73.75
कुल	**2,577**	**800**	**1,776**	**68.92**

इस प्रकार, प्रणाली के माध्यम से वैयक्तिक निर्धारितियों से संबंधित 68.92 *प्रतिशत* मामलों में अधिक ब्याज राशि उद्ग्रहित की गई। वैयक्तिक निर्धारिती के प्रति प्रभारित ब्याज की अधिक उद्ग्रहित राशि अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत ₹ 803.35 लाख, अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 2,728.31 लाख तथा अधिनियम की धारा 234सी के अंतर्गत ₹ 559.59 लाख थी, जिससे निर्धारिती को अनावश्यक रुप से उत्पीड़न तथा कठिनाई हुई।

इसके अतिरिक्त हमने एएसटी प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना के कारण की जांच की और आयकर विभाग से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। यद्यपि, आयकर विभाग ने 1,851 मामलों[82] में उत्तर प्रस्तुत किया फिर भी, उत्तर प्रणाली में कमी के मूल कारण को स्पष्ट नहीं करते थे और केवल सामान्य प्रकृति के थे। आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रमुख कारणों में एक कारण था कि प्रणालीगत चूक के कारण ब्याज की गलत संगणना हुई।

तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान एएसटी प्रणाली में उपलब्ध आईटीआर, निर्धारण आदेश तथा आंकड़ों की तुलना करने पर हमने पाया कि:

- अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत प्रणाली के द्वारा गलत ब्याज संगणना के संबंध में 1,400 मामलों में से 125 मामलों में प्रणाली ने कर राशि/ अग्रिम कर/ टीडीएस/ टीसीएस को प्राप्त नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, 461 मामलों में, प्रणाली रिटर्न फाईल करने में विलंब की सही अवधि की संगणना करने मे विफल रही।

[82] 234ए के प्रति 362 मामलों, 234बी के प्रति 378 मामलों, 234सी के प्रति 399 मामलों तथा 244ए के प्रति 712 मामलों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किया गया।

115 मामलों में, यद्यपि प्रणाली ने कर घटक और रिटर्न फाईल करने की अवधि में विलंब को सही रूप से प्राप्त किया, लेकिन अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज की राशि की संगणना प्रणाली के माध्यम से गलत की गई।

इसके अतिरिक्त, प्रणाली के माध्यम से विलंब की गलत अवधि प्राप्त करने से संबंधित 476 मामलों के विश्लेषण से पता चला कि 339 मामलों में प्रणाली के माध्यम से दर्ज विलंब की अवधि वास्तविक अवधि से कम थी जो एक महीने से लेकर 36 महीने से अधिक के बीच थी तथा 137 मामलों में विलंब की अवधि वास्तविक अवधि से अधिक थी जो एक महीने से लेकर 36 महीने से अधिक के बीच थी। विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 5.4: प्रणाली के माध्यम से वास्तविक से कम/अधिक विलंब अवधि के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज की गलत संगणना

विलंब की सीमा	मामलों की संख्या (वास्तविक से कम विलंब अवधि)	मामलों की संख्या (वास्तविक से अधिक विलंब अवधि)	मामलों की कुल सं.
1	**2**	**3**	**4**
≤12 महीने	263	79	342
> 12 महीने और ≤24 महीने	50	18	68
> 24 महीने और ≤36 महीने	3	7	10
36 महीने से अधिक	23	33	56
कुल	**339**	**137**	**476**

इस प्रकार, 476 मामलों में से 134 मामलों में (कुल 28.15 *प्रतिशत*), प्रणाली ने 12 महिनों से अधिक के अंतर की अवधि प्राप्त करके ब्याज की राशि गलत संगणित की तथा इस प्रकार, महत्वपूर्ण राशि के लिए कम/अधिक ब्याज की राशि उद्ग्रहित की।

- अधिनियम की धारा 234बी के संबंध में, 1,744 मामलों में से 364 मामलों में प्रणाली कर राशि/ टीडीएस/ टीसीएस/ एसएटी को प्राप्त करने में विफल रही। 130 मामलों में, प्रणाली चूक की सही अवधि प्राप्त करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त, 304 मामलो में, यद्यपि प्रणाली ने कर घटक और चूक की सही अवधि प्राप्त की, लेकिन प्रणाली के माध्यम से अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज की राशि गलत संगणित की गई।

- अधिनियम की धारा 234सी के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से की गई ब्याज की गलत संगणना से संबंधित 1,900 मामलों में से 409 मामलों में प्रणाली ने कर राशि प्राप्त नहीं की। इसके अतिरिक्त, 212 मामलों में, प्रणाली करास्थगन की सही अवधि प्राप्त करने मे विफल रही। हमने ऐसे 253 मामले भी देखे, जहां प्रणाली ने कर घटक तथा देय ब्याज की अवधि प्राप्त की, तथापि, अधिनियम की धारा 234सी के अंतर्गत ब्याज की राशि प्रणाली के माध्यम से गलत संगणित की गई।
- अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से संगणित गलत ब्याज के संबंध में 1,585 मामलों में से, 203 मामलों में प्रणाली कर राशि/ अग्रिम कर/ टीडीएस/ टीसीएस प्राप्त करने में विफल रही। हमें 66 मामले ऐसे भी मिले जहां, प्रणाली ने कर घटक तथा अवधि सही प्रकार से प्राप्त की, जिसके लिए निर्धारिती को ब्याज देय था, तथापि, प्रणाली के माध्यम से धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज की राशि की गलत संगणना की गई। हमे उस अवधि से संबंधित ऐसे 60 मामले भी मिले जिनके लिए निर्धारिती को देय प्रतिदाय में विलंब हो रहा था।

इस प्रकार, उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि प्रणाली कर राशि/ टीडीएस/ टीसीएस के साथ-साथ विलंब/ चूक की अवधि को प्राप्त करने में विफल रही जिसके परिणामत: धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत ब्याज की गलत संगणना हुई। चूंकि एएसटी प्रणाली को आईटी एप्लीकेशन के अन्य मॉड्यूल से अग्रिम कर/ टीडीएस/ टीसीएस के विवरण स्वाचालित रूप से लेने के लिए डिज़ाइन किया गया था, इन विवरणों को प्राप्त न किया जाना प्रणाली में कमी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, जहां से विवरण सही प्रकार से प्राप्त किए गए, प्रणाली द्वारा ब्याज की गलत संगणना की गई। इसका निर्धारिती को अंतिम मांग/देय प्रतिदाय पर प्रभाव पड़ा।

'आयकर विभाग में आईटी एप्लीकेशन' पर हमारे पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[83] में हमने एएसटी मॉड्यूल में कमियों को उजागर किया था और यह सिफारिश की थी कि 'मंत्रालय आईटी प्रणालियों को सुदृढ करे और महत्वपूर्ण आईटी मॉड्यूल के बीच विसंगतियों को दूर करे ताकि वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सके'। मंत्रालय ने लोक लेखा समिति (पीएसी) को

[83] 2012-13 का प्रतिवेदन सं. 23, मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए; 30 अप्रैल 2013 को प्रतिवेदन संसद के पटल पर प्रस्तुत।

बताया कि "विभाग ने एएसटी तथा आयकर विभाग के अन्य मॉड्यूलों की कार्य गतिविधि क पुनर्लेखन तथा उन सभी को इन्कम टैक्स बिज़नस एप्लीकेशन नामक परियोजना द्वारा एक सर्वनिष्ठ संरचना के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया पर कार्य आरंभ कर दिया है।[84]" तथापि, तथ्य यह है कि एएसटी 2017-18 तक परिचालन में था और इन वर्षों के दौरान विभाग ने आईटीबीए कार्यान्वित करने से पूर्व इन कमियों को सुधारना सुनिश्चित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, आईटीबीए में भी, ब्याज की गलत संगणना करने के मामले है, जिन्हें इस प्रतिवेदन के पैरा 5.8.5 में दर्शाया गया है।

5.8.2 प्रणाली के माध्यम से संगणित गलत ब्याज को परिशोधित करने में निर्धारण अधिकारी की विफलता

एएसटी मॉड्यूल 'आशोधित' शीर्ष के अंतर्गत अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी ब्याज के मूल्य को आशोधित करने की अनुमति देता है जहां ब्याज मूल्य को बदला (वृद्धि/कमी) जा सकता है और संगणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप की जा सकती है। हमे ऐसे मामले मिले जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गणत संगणना को सुधारने के 'आशोधित' फीचर का उपयोग नहीं किया। इसके अतिरिक्त, हमें ऐसे मामले भी मिले जहां निर्धारण अधिकारी ने ब्याज की गलत राशि उद्ग्रहित करने हेतु आशोधन फीचर का गलत प्रयोग किया। एसे मामलों की संख्या नीचे तालिका 5.5 में दर्शायी गई है:

तालिका 5.5: प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज की संगणना निर्धारण अधिकारी द्वारा या तो आशोधित नहीं की गई है या गलत तरीके से आशोधित की गई है

धारा के अंतर्गत ब्याज	प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज की संगणना (मामलो की सं.)	कॉलम 2 में से निर्धारण अधिकारी द्वारा सही ढंग से आशोधित (मामलों की संख्या)	कॉलम 2 से निर्धारण अधिकारी द्वारा आशोधित नहीं किए गए यद्यपि गलत थे (मामलों की संख्या)	कॉलम 2 में से निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत राशि में आशोधित (मामलों की संख्या)
1	2	3	4	5
234ए	1,400	665	258	477
234बी	1,744	822	265	657
234सी	1,900	1,001	360	539
244ए	1,585	426	588	571
कुल	**6,629**	**2,914**	**1,471**	**2,244**

[84] आयकर विभाग में आईटी एप्लीकेशन पर पीएसी 2014-15 (सोलहवीं लोक सभा) की दूसरी रिपोर्ट 25-11-2014 को लोकसभा तथा राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

यह देखा जा सकता है कि निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से गलत संगणना के 5,158 (2,914+2,244) मामलों को आशोधित किया। तथापि, निर्धारण अधिकारी द्वारा किये 43 *प्रतिशत* से अधिक आशोधन गलत थे। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने 1,471 मामलें सही नहीं किए थे। उपर्युक्त तालिका 5.5 के कॉलम 4 तथा कॉलम 5 से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.8.2.1 प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज को सही करने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा आशोधन फीचर का प्रयोग न किया जाना

जहां प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना की गई ऐसे मामलों (जैसा कि पैरा 5.8.1 में चर्चा की गई है) की जांच लेखापरीक्षा में यह देखने के लिए की गई कि क्या निर्धारण अधिकारी ने ऐसे मामलों के प्रति सुधारात्मक कार्रवाई की और उन्हें सही प्रकार से आशोधित किया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में 1471 मामले देखे गए जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना को सुधारने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। 1,471 मामलो के आगे का विवरण **तालिका 5.6** (ब्याज का कम उद्ग्रहण/भुगतान के मामले) तथा **तालिका 5.7** (ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान के मामले) में दर्शाये गये है:

तालिका 5.6: ब्याज के कम उद्ग्रहण/भुगतान जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज की संगणना को आशोधित नहीं किया

धारा के अंतर्गत ब्याज	ऐसे मामलों की संख्या जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से सगणित गलत ब्याज को आशोधित नहीं किया	ब्याज का कम उद्ग्रहण / भुगतान[85] (मामलों की संख्या)	ब्याज का कम उद्ग्रहण / भुगतान (राशि`लाख में)
1	2	3	4
234ए	258	57	292.37[86]
234बी	265	100	18,805.95
234सी	360	124	2,365.45
244ए	588	500	53,251.90
कुल	**1,471**	**781**	**74,715.67**

इस प्रकार, प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना के प्रति सुधारात्मक कार्रवाई करने में निर्धारण अधिकारी के विफल रहने के कारण ब्याज के कम उद्ग्रहण से निर्धारिती को अनुचित फायदा तथा संभावित लाभ

[85] 234ए, 234बी तथा 234सी के संबंध में उदग्रहण; धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज से संबंधित भुगतान

[86] वास्तविक शामिल राशि ₹282.70 लाख है क्योंकि दो निर्धारितियों का निर्धारण समान नि.व. में विभिन्न निर्धारण आदेशों के अंतर्गत किया गया।

मिलने के साथ-साथ राजस्व की भी हानि हुई। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 244ए के अन्तर्गत ब्याज के कम भुगतान के कारण निर्धारिती को परिहार्य कठिनाई और परेशानी हुई। ब्याज के कम उद्ग्रहण का एक मामला निम्नानुसार है:

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-केंद्रीय-3, कोलकाता, पश्चिम बंगाल; नि.वर्ष: 2010-11

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2017 में अधिनियम की धारा 144/147 के अंतर्गत निर्धारिती कम्पनी की आय ₹126.93 लाख निर्धारित की। लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 26.87 लाख पर ब्याज की सही संगणना करने की बजाय उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से ₹19.52 लाख पर ब्याज की संगणना की। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने गलती को सुधारने हेतु गलत ब्याज को आशोधित नहीं किया। जिसके परिणामत: ₹7.35 लाख का कम ब्याज उद्ग्रहण हुआ। *आयकर विभाग ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2019) कि धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज की संगणना में त्रुटि प्रणाली में प्रणालीगत चूक के कारण हुई थी और उसे अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार सुधार लिया गया था।*

हमने ऐसे मामले भी पाए जहां प्रणाली के माध्यम से संगणना किए गए गलत ब्याज के प्रति निर्धारण अधिकारियों की ओर से कार्रवाई नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय पर ब्याज के रूप में सरकारी खजाने में से प्रतिदाय के रोके रखने पर संभावित प्रभाव वाले ब्याज का अधिक उद्ग्रहण /भुगतान हुआ जो निर्धारितियों को अनुचित कठिनाइयों /परेशानी के अलावा था। अधिनियम की धारा 244 ए के अंतर्गत ब्याज के अधिक भुगतान के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई। ऐसे मामलों के धारा-वार विवरण नीचे तालिका 5.7 मे दर्शाए गए हैं:

तालिका 5.7: ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना को आशोधित नहीं किया			
धारा के अंतर्गत ब्याज	मामलो की सं. जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना को आशोधित नहीं किया	ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान (मामलो की सं)	ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान (राशि ₹लाख में)
1	2	3	4
234ए	258	201	5,773.96
234बी	265	165	70,992.96
234सी	360	236	21,593.37
244ए	588	88	8,654.45
कुल	**1,471**	**690**	**1,07,014.74**

हमारे पूर्ववर्ती[87] प्रतिवेदन में एएसटी प्रणाली से संबंधित मामलों को उजागर किया गया था जिसमें विभाग की आईटी प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी को प्रणाली द्वारा संगणित ब्याज तथा कर को पुन: सत्यापित करना चाहिए, क्योंकि विभाग को प्रणाली की कमियों के बारे में जानकारी थी। तथापि, प्रणाली के माध्यम से संगणित गलत ब्याज को सुधारने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके कारण ब्याज का गलत उद्ग्रहण/भुगतान किया गया।

5.8.2.2 आशोधन फीचर प्रयोग करते हुए प्रणाली के माध्यम से संगणित गलत ब्याज़ को सुधारते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज की गणना में गलती

लेखापरीक्षा को ऐसे 2,244 मामले मिले जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से संगणित गलत ब्याज को सही करने हेतु आशोधन फीचर का प्रयोग किया किंतु उसे गलत ब्याज राशि पर आशोधित कर दिया। 2,244 मामलों के अतिरिक्त विवरण नीचे **तालिका 5.8** (ब्याज के कम उद्ग्रहण/भुगतान संबंधी मामले) तथा **तालिका 5.9** (ब्याज के अधिक उद्ग्रहण/भुगतान के मामले) में दिऐ गऐ है:

[87] मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए 2012-13 का प्रतिवेदन सं. 23

तालिका 5.8: ब्याज का कम उद्ग्रहण/भुगतान जहां प्रणाली के साथ-साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा संगणित ब्याज गलत था			
धारा के अंतर्गत ब्याज	**ऐसे मामलों की संख्या जहां निर्धारण अधिकारी ने ब्याज राशि को गलत रूप से आशोधित किया**	**ब्याज का कम उद्ग्रहण/भुगतान (मामलों की सं)**	**ब्याज को कम उद्ग्रहण/ भुगतान की राशि (राशि ₹ लाख में)**
1	**2**	**3**	**4**
234ए	477	281	3,325.93
234बी	657	335	1,05,528.64
234सी	539	275	2,969.33
244ए	571	329	57,591.13
कुल	**2,244**	**1,220**	**1,69,415.03**

इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी द्वारा सही राशि पर गलत ब्याज (जैसा प्रणाली के माध्यम से संगणित किया गया) के आशोधन के विफलता के परिणामस्वरूप ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ जिससे राजस्व की हानि के साथ-साथ निर्धारिती को अनुचित लाभ तथा संभावित फायदा हुआ। इसके अलावा, धारा के अंतर्गत ब्याज के कम भुगतान से निर्धारिती को परिहार्य परेशानी तथा उत्पीड़न हुआ। दो मामले, जहां प्रणाली के माध्यम से संगणित गलत ब्याज का निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत आशोधन किया गया, जिससे ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ, नीचे दिए गऐ है:

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-केन्द्रीय-2 कोलकाता, पश्चिम बंगाल; नि.वर्ष: 2013-14

अगस्त 2014 में अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत निर्धारिती कंपनी का मामला ₹ 549.07 लाख की आय तथा उस पर ₹ 178.15 लाख कर पर प्रसंस्कृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 143(1)/153ए के अंतर्गत निर्धारिती की आय ₹ 1,768.55 लाख निर्धारित की थी जिसे बाद में अप्रैल 2016 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार करके ₹ 1,675.92 लाख की आय तथा इस पर ₹ 543.75 लाख का कर निर्धारित किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 153ए के अंतर्गत नोटिस के उत्तर में, आय की रिटर्न छह माह के विलंब से फाईल की। तथापि, प्रणाली के माध्यम से अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत् ब्याज की सही राशि ₹ 21.93 लाख[88] के स्थान पर ₹ 76.78 लाख की गलत राशि संगणना की गई थी। इसके पश्चात निर्धारण अधिकारी ने ब्याज राशि को शून्य पर आशोधित किया

[88] ₹365.60 (₹543.75- ₹178.15) के संवर्धित कर पर छह *प्रतिशत*

जिसके परिणामत: ₹ 21.93 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। लेखापरीक्षा में निर्धारण अधिकारी द्वारा एएसटी प्रणाली में गलत आशोधन करने के कारण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका, क्योंकि एएसटी मॉड्यूल में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्तनों के पीछे के कारण प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था।

(ख) प्रभार: प्र.सीआईटी-IV, पुणे, महाराष्ट्र; नि.वर्ष: 2010-11

जून 2016 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत निर्धारिती कंपनी की आय का निर्धारण सुधार कर ₹ 27,139.76 लाख पर किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आय की रिटर्न फाईल करते समय निर्धारिती द्वारा अधिनियम की धारा 234सी के अंतर्गत ब्याज की सही राशि ₹ 336.59 लाख प्रस्तुत की गई थी। तथापि, उक्त धारा के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से ₹ 336.59 लाख की सही राशि के स्थान पर ₹ 347.21 लाख के ब्याज की गलत संगणना की गई। इसके पश्चात, निर्धारण अधिकारी ने इसे आशोधन करके ₹186.42 लाख कर दिया। निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए इस आशोधन के कारण अधिनियम की धारा 234सी के अंतर्गत ₹ 150.17 लाख (₹ 336.54 लाख - ₹ 186.42 लाख) के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा, निर्धारण अधिकारी द्वारा एएसटी प्रणाली में गलत आशोधन करने के कारण को सुनिश्चित नहीं कर सका, क्योंकि एएसटी मॉड्यूल में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्तनों के पीछे के कारण प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

इसके अतिरिक्त, **1024 मामलों** का धारा-वार विवरण, जहां प्रणाली के माध्यम से संगणित गलत ब्याज में निर्धारण अधिकारी द्वारा आशोधन किए जाने के कारण ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान हुआ, नीचे तालिका 5.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.9: ब्याज का अतिरिक्त उद्ग्रहण/ भुगतान जहां प्रणाली के साथ-साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत ब्याज की गई संगणना की गई

धारा के अंतर्गत ब्याज	मामलों की संख्या जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज राशि का गलत आशोधन किया गया	ब्याज का अतिरिक्त उद्ग्रहण/ भुगतान (मामलों की संख्या)	ब्याज का अतिरिक्त उद्ग्रहण/ भुगतान (राशि ₹ लाख में)
1	2	3	4
234ए	477	196	9,357.25
234बी	657	322	2,36,664.94
234सी	539	264	1,27,682.28
244ए	571	242	1,58,317.21
कुल	**2,244**	**1,024**	**5,32,021.68**

इस प्रकार, जहां प्रणाली के माध्यम से संगणना किए गए गलत ब्याज के प्रति निर्धारण अधिकारियों की ओर से हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप प्रतिदाय पर ब्याज के रूप में सरकारी खजाने में से प्रतिदाय के रोके रखने पर संभावित प्रभाव वाले ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान हुआ जो निर्धारितीयों को अनुचित कठिनाइयों /परेशानी के अलावा था। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 244 ए के अंतर्गत ब्याज के अधिक भुगतान के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई। एक मामला, जहां प्रणाली के माध्यम के साथ-साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा संगणित ब्याज गलत था जिससे ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ, नीचे दिया गया है।

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-केन्द्रीय-I, कोलकाता, पश्चिम बंगाल; नि.वर्ष: 2010-11

दिसम्बर 2016 में अधिनियम की धारा 143(3)/153ए के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती कंपनी की आय शून्य निर्धारित की गई थी। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज उद्ग्रहण योग्य नहीं था क्योंकि आय शून्य निर्धारित की गई थी। तथापि, प्रणाली के माध्यम से अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ₹165.93 लाख का ब्याज संगणित किया गया जिसके परिणामत: ₹165.93 लाख का अधिक कर प्रभारित हुआ। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी ने ब्याज राशि को आशोधित कर शून्य करने की अपेक्षा उसे आशोधित कर ₹768.15 लाख कर दिया जिसके परिणामत: ब्याज राशि का अधिक प्रभारण ₹165.93 लाख से बढ़कर ₹768.15 लाख हो गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में निर्धारण अधिकारी द्वारा एएसटी प्रणाली में गलत आशोधन करने के कारण सुनिश्चित नहीं किए जा सके, क्योंकि एएसटी मॉड्यूल में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्तनों की पीछे के कारण प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

5.8.3 प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज में निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्त्य रूप से हस्तक्षेप तथा आशोधन

जहां प्रणाली के माध्यम से ब्याज की राशि सही संगणित की गई थी, वहां प्रणाली के माध्यम से संगणित ब्याज में हस्त्य हस्तक्षेप और आशोधन की कोई गुजांइश नहीं थी। तथापि, हमें ऐसे मामले मिले जहां निर्धारण अधिकारी के प्रणाली के माध्यम से ब्याज राशि की सही संगणना करने के बावजूद भी ब्याज राशि में हस्त्य रूप से आशोधन किया। ऐसे मामलों के विवरण नीचे तालिका 5.10 में दर्शाये गए है:

तालिका 5.10: प्रणाली के माध्यम से संगणना की गई सही ब्याज में निर्धारण अधिकारी द्वारा आशोधन के उदाहरण		
धारा के अंतर्गत ब्याज	प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज (मामलों की सं)	प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज मेंनिर्धारण अधिकारी द्वारा गलत आशोधन (मामलों की सं)
1	2	3
234ए	4,760	1,003
234बी	4,396	1,180
234सी	4,148	654
244ए	4,544	833
कुल	**17,848**	**3,670**

5.8.3.1 इसके अतिरिक्त, मामले के धारा-वार विवरण, जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज में अवांछित आशोधन किए जिसके परिणामत: ब्याज का कम उद्ग्रहण/भुगतान किया गया, नीचे तालिका 5.11 में दर्शाये गये है:

तालिका: 5.11: उन मामलों के संबंध में ब्याज का कम उद्ग्रहण/भुगतान जहां प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज को निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत तरीके से आशोधित किया			
धारा के अंतर्गत ब्याज	निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत तरीके से आशोधित (मामलों की सं)	ब्याज का कम उद्ग्रहण / भुगतान (मामलों की सं)	ब्याज का कम उद्ग्रहण / भुगतान (₹ लाख में)
1	2	3	4
234ए	1,003	175	643.06
234बी	1,180	105	36,160.06
234सी	654	188	28,804.45
244ए	833	134	1,303.15
कुल	**3,670**	**602**	**66,910.72**

इस प्रकार, प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज में निर्धारण अधिकारी द्वारा अवांछित आशोधनों के परिणामत: ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ जिससे राजस्व में हानि के साथ-साथ निर्धारिती को अनुचित लाभ और संभावित फायदा हुआ। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज के कम भुगतान के परिणामत: निर्धारिती को परिहार्य कठिनाई और परेशानी हुई। कर के कम उद्ग्रहण का एक मामला निम्नानुसार है:

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-II, कानपुर, उत्तर प्रदेश; नि.वर्ष: 2015-16

मार्च 2018 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत निर्धारिती कंपनी की आय ₹60,577.02 लाख निर्धारित की गई थी। आदेश के स्क्रीन शॉट में यह देखा गया कि सभी पूर्वदत्त करों को क्रेडिट देने के पश्चात कर देयता ₹20,590.44 लाख थी। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय ब्याज की राशि ₹ 6,794.03 लाख थी जो प्रणाली के माध्यम से सही संगणित की गई थी। हालांकि, प्रणाली के माध्यम से ब्याज की सही गणना की गई थी, फिर भी निर्धारण अधिकारी ने हस्त्य रूप से ब्याज राशि को शून्य कर दिया, जिसके परिणामत: ₹ 6,794.03 लाख के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *आयकर विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2019) कि गलती को सुधार लिया गया है।* तथापि, आयकर विभाग ने कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया कि प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज को निर्धारण अधिकारी ने हस्त्य रूप से आशोधित क्यों किया।

इसके अतिरिक्त, प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज में निर्धारण अधिकारी द्वारा अवांछित आशोधन किए गए जिसके कारण ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान किया गया। ऐसे मामलों के धारा-वार ब्यौरे नीचे तालिका 5.12 में दर्शाये गये है:

तालिका 5.12: उन मामलों के संबंध में ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान जहां प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज को निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत तरीके से आशोधित किया

धारा के अंतर्गत ब्याज	निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत तरीके से आशोधित (मामलो की सं)	अतिरिक्त ब्याज उद्ग्रहण/भुगतान (मामलों की सं)	अतिरिक्त ब्याज उद्ग्रहण/भुगतान (₹ लाख में)
1	2	3	4
234ए	1,003	828	1,25,694.69
234बी	1,180	1,075	8,56,674.23
234सी	654	466	77,158.39
244ए	833	699	41,578.62
कुल	**3,670**	**3,068**	**11,01,105.93**

इस प्रकार, जहां प्रणाली के माध्यम से संगणना किए गए गलत ब्याज के प्रति निर्धारण अधिकारियों की ओर से हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप प्रतिदाय पर ब्याज के रूप में सरकारी खजाने में से प्रतिदाय के रोके रखने पर संभावित प्रभाव वाले ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान हुआ जो निर्धारितियों को अनुचित कठिनाइयों/परेशानी के अलावा था। अधिनियम की धारा 244ए के

अंतर्गत ब्याज के अधिक भुगतान से राजस्व की हानि हुई। ऐसा एक मामले जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज को आशोधित किया जिसके कारण ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ, नीचे दिया गया है:

(क) प्रभार: प्र.सीआईटी-II, लखनऊ, उत्तर प्रदेश; नि.वर्ष: 2015-16

संवीक्षा के पश्चात दिसम्बर 2016 में निर्धारण अधिकारी ने एक व्यक्ति की आय का निर्धारण ₹ 22,091.78 लाख किया। आदेश के स्क्रीन शॉट में यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा ₹ 525.49 लाख का ब्याज देय था जिसे प्रणाली के माध्यम से सही राशि पर संगणित किया गया था,निर्धारण अधिकारी ने हस्त्य रूप से इस ब्याज राशि को आशोधित कर ₹ 1,276.19 लाख कर दिया जिसके परिणामत: ₹ 750.70 लाख का अधिक ब्याज उद्ग्रहीत हुआ। *आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत गलती को सुधार लिया (जनवरी 2017)।* तथापि, आयकर विभाग ने प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज को निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्त्य रूप से आशोधित किए जाने का कोई कारण नहीं प्रस्तुत किया।

5.8.3.2 इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त **तालिका 5.11 तथा तालिका 5.12** से यह देखा गया कि ऐसे मामलों की संख्या **(468 मामले)** जहाँ ब्याज कम उद्ग्रहित किया गया की तुलना में ऐसे मामले जहां प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज के प्रति निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिक ब्याज **(2,369 मामले)** उद्ग्रहित किया गया, काफी अधिक थे। इसके अतिरिक्त हमने निर्धारितियों के स्टेटस संबंधी मामलों की संख्या के साथ-साथ ब्याज के अधिक उद्ग्रहण की राशि **(धारा 234ए, 234बी तथा 234सी के अंतर्गत-उपर्युक्त तालिका 5.12 के कॉलम 3 तथा कॉलम 4)** तथा ब्याज के कम भुगतान **(धारा 244ए के अंतर्गत-उपर्युक्त तालिका 5.11 के कॉलम 3 तथा कॉलम 4)** का विश्लेषण किया। विवरण नीचे तालिका 5.13 में दर्शाये गये है:

तालिका 5.13: ब्याज-स्थिति के हिसाब से अधिक उद्ग्रहण / कम भुगतान राशि की तुलना में मामलों की संख्या का वितरण								
स्थिति / विवरण	धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (मामलों की संख्या)	धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (राशि ₹ लाख में)	धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (मामलों की संख्या)	धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (राशि ₹ लाख में)	धारा 234सी के अंतर्गत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (मामलों की संख्या)	धारा 234सी के अंतर्गत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (राशि ₹ लाख में)	धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (मामलों की संख्य)	धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (राशि ₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एओपी	25	4,695.44	13	1,767.20	6	1,177.35	1	0.04
कंपनी	299	105,964.13	529	845,105.22	175	7,1043.83	10	1,272.67
फ़र्म	85	3,308.38	73	4,732.94	41	1,209.61	6	0.29
सरकारी प्राधिकरण	1	0.11	2	10.00	1	7.07	3	3.96
एचयूएफ	8	0.57	7	7.40	4	0.02	2	0.14
एजेपी	2	162.1						
स्थानीय प्राधिकारण	1	24.65	2	1,539.17	5	1,643.44		
व्यक्ति	390	6,101.14	445	2,598.66	229	283.49	107	25.95
न्यास	17	5,438.17	4	913.64	5	1,793.58	5	0.10
कुल	**828**	**125,694.69**	**1075**	**8,56,674.23**	**466**	**77,158.39**	**134**	**1,303.15**

यह देखा गया कि अधिकतर आशोधन एकल व्यक्ति तथा उसके बाद कंपनी निर्धारितियों के संबंध में किए गये थे। अधिक ब्याज उद्ग्रहण का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रतिदाय पर होता है, यदि प्रतिदाय निर्धारिती को देय है। अन्यथा यह निर्धारितियों पर अनुचित मांग सृजित करता है। इस प्रकार, अधिक ब्याज उद्ग्रहित करने से निर्धारितियों को अनावश्यक परेशानी और अनुचित कठिनाई में डाला गया क्योंकि या तो प्रतिदाय अधिक ब्याज उद्ग्रहण के कारण अवरूद्ध हो गया या निर्धारितियों से अनुचित मांग सृजित की गई। हमे ऐसे कुछ मामले मिले जहां निर्धारिती को देय प्रतिदाय ब्याज घटक में सुधार से अवरूद्ध हो गये तथा इन पर नीचे पैरा 5.8.4 में चर्चा की गई है:

5.8.4 प्रतिदाय जारी करने में अनियमितताएं

अधिनियम की धारा 237 के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट करता है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से अथवा ऐसा माना जाये कि उसके द्वारा उसकी ओर से भुगतान की गई कर की राशि उस राशि से अधिक है जो उस वर्ष अधिनियम के अंतर्गत उस पर समुचित रूप से प्रभारित की गई हो, तो वह अधिक्य के लिए प्रतिदाय का हकदार होगा।

जैसे कि, उन मामलों में जहां, अग्रिम कर, नियमित कर, स्रोत पर काटा गया कर आदि का सकल, निर्धारण के पूर्ण होने पर निर्धारित कर से अधिक हो जाता है तो निर्धारिती प्रतिदाय के लिए हकदार होता है। प्रतिदाय दावों का समय पर निपटान कर प्रशासन की परिचालन दक्षता का प्रमुख परिमाण है। करदाताओं के मध्य त्वरित प्रतिदाय आत्मविश्वास बढ़ाता है और कर अनुपालन बढ़ता है।

आयकर विभाग का 2014 का नागरिक चार्टर के अन्तर्गत ब्याज सहित प्रतिदाय को जारी करने और आदेश की प्रसंस्करण/पूर्णता की तिथि से क्रमश छ: माह तथा एक माह के अन्दर अधिनियम की धारा 143(1) और अधिनियम की धारा 143(1) के अलावा कार्रवाही करने का वचन देता है।

5.8.4.1 ब्याज घटक में निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुचित संशोधन के तरीके से प्रतिदाय का अवरोध के कारण करदाताओं को कठिनाई तथा उत्पीडन

लेखापरीक्षा ने 1,130 उदाहरणों[89] में पाया, जहां ब्याज राशि में निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधन के परिणामस्वरूप₹ 4,39,571.21 लाख तक की राशि के प्रतिदाय का अवरोध हुआ जो कि संबंधित निर्धारिती को देय था। यह अधिक राशि पर अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी तथा 234सी के अन्तर्गत ब्याज के मैनुअल संशोधन के माध्यम से निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया था जिससे अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी तथा 234सी के उल्लंघन के अलावा, अनुचित मांग उत्पन्न हुई तथा इसके परिणामस्वरूप निर्धारिती को देय प्रतिदाय से वंचित कर दिया गया था।

हमने अवरूद्ध प्रतिदायों की राशि के साथ-साथ श्रेणीवार पेन में 1,130 उदाहरणों को पृथक किया जिसका विवरण नीचे तालिका 5.14 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.14: अवरूध प्रतिदाय के मामलों का-पेन श्रेणीवार विवरण

निर्धारिती का प्रकार	अवरूद्ध प्रतिदाय की राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या
1	2	3
एओपी	2,761.45	19
कंपनी	4,15,787.61	610

[89] 1,130 मामलों के संबंध में प्रतिदाय का संपूर्ण अवरूद्ध ₹4,39,571.21 लाख है; हालांकि उसी निर्धारण वर्ष के लिए उसी निर्धारिती से संबंधित 35 मामले जो 1,130 में शामिल थी, लेकिन पृथक रूप से निर्धारित किया गया था।

फर्म	7,585.35	85
सरकारी प्राधिकरण	17.06	1
एचयूएफ	47.54	2
कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति	161.44	3
स्थानीय प्राधिकरण	1,411.76	3
व्यक्तिगत	7,079.18	395
ट्रस्ट	4,719.82	12
कुल	**4,39,571.21**	**1,130**

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि मामलों की बहुलता, जहां प्रतिदाय को अवरूद्ध कर दिया गया था, कंपनियों, व्यक्तियों तथा फर्मों से संबंधित थे। तथापि, अवरूद्ध प्रतिदाय की अधिकतम राशि केवल कंपनियो से संबंधित थी। 1,130 अवरूद्ध प्रतिदायों के मामलो में, हमने पाया कि 197 मामले अधिनियम की धारा 143(1)[90] के अन्तर्गतसंसाधित किये गये थे तथा 660 मामले अधिनियम की धारा 143(3)[91] के अंतर्गत संसाधित किए गये थे, जिसमें क्रमश: ₹ 96,662.32 लाख और ₹ 2,10,788.58 लाख के प्रतिदाय को ब्याज घटक में संशोधन के माध्यम से अवरूद्ध किया गया था।

सीपीसी बेंगलूरू के माध्यम से, अधिनियम की धारा 143(1) के अन्तर्गत आईटीआर स्वचालित संसाधित होने चाहिए। राशि की सीमा के सदंर्भ में, अधिनियम की धारा 143(1) के अन्तर्गत संसाधित मामलों का विवरण निम्न तालिका 5.15 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.15: अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत संसाधित अवरूद्ध प्रतिदाय मामलें

राशि की सीमा (₹ में)	अवरूद्ध प्रतिदाय मामलों की संख्या	अवरूद्ध प्रतिदाय की राशि (₹ लाख में)
1	**2**	**3**
≤10000	73	2.17
>10000 तथा ≤100000	68	23.04
>100000 तथा ≤500000	14	28.93
>500000	42	96,608.18
कुल	**197**	**96,662.32**

197 मामलों में से, कंपनी निर्धारिती के 40 मामले तथा व्यक्तिगत निर्धारिती के 149 मामले थे जिनके प्रतिदाय क्रमश: ₹ 93,785.82 लाख तथा ₹ 2,450.21 लाख को अवरूद्ध किया गया था।

[90] धारा 143(1) के अर्न्तगत मामलों को सीपीसी बेंगलूरू के माध्यम से संसाधित किया गया है।

[91] धारा 143(3) के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा संविक्षा निर्धारण पूर्ण किया गया है।

छ: उदाहरण जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के प्रतिदाय को अवरूद्ध किया था की चर्चा नीचे की गई है:

(क) प्रभार: प्र.सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)-III; डीडीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)-नोएडा; नि.वर्ष: 2015-16

निर्धारिती कंपनी का निर्धारण मार्च 2017 में अधिनियम की धारा 143(1) के अन्तर्गत संसाधित किया गया था जिसमें अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत एएसटी प्रणाली ने शुन्य पर ब्याज परिकलित किया, क्योंकि उसी रूप में वह उदग्रहण योग्य नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम की धारा 143(1) के अन्तर्गत निर्धारण के समय निर्धारिती ने ₹ 1,995.10 लाख तक की देय राशि के प्रति ₹ 19,369.84 लाख का टीडीएस क्रेडिट था। हालांकि, निर्धारिती को ₹ 17,374.74 लाख (₹ 19,369.84 लाख - ₹ 1,995.10 लाख) की प्रतिदाय राशि को जारी करने के बजाय निर्धारण अधिकारी ने ₹ 17,374.74 लाख पर अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज को संशोधित किया जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय अवरूद्ध हुआ। *आईटीडी ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2019) कि मामला न्यायाधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कई वर्षों से कार्रवाई के लिए लंबित है। यदि आवश्यक हो, तो कोई संशोधन, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जाएगा।* तथापि, आईटीडी ने ब्याज राशि में संशोधन के पीछे किसी कारण को प्रेषित नहीं किया, जोकि उचित नहीं था।

(ख) प्रभार प्र. सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)-III डीडीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)-I देहरादून; नि.वर्ष: 2010-11

निर्धारिती कंपनी के मामले में अधिनियम की धारा 254 के अन्तर्गत अपीलीय आदेश को नवंबर 2017 में क्रियान्वित किया गया था जिसमें अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज को शुन्य पर एएसटी प्रणाली के माध्यम से परिकलित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने ₹ 50,577.28 लाख तक की राशि के देय कर के प्रति ₹ 16,830.73 लाख का टीडीएस क्रेडिट, ₹ 43,437.49 लाख का अग्रिम कर क्रेडिट तथा ₹ 2,263.99 लाख के अन्य करों सहित ₹ 62,532.21 लाख का कुल कर क्रेडिट था। हालांकि निर्धारिती को ₹ 11,954.93 लाख (₹ 62,532.21 लाख - ₹ 50,577.28 लाख) के प्रतिदाय को जारी करने के बजाय निर्धारण अधिकारी ने उसी राशि पर अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज को संशोधित किया जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय अवरूद्ध हुआ।

(ग) प्रभार: प्र. सीआईटी IX, मुम्बई; नि.वर्ष: 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने, शुन्य आय पर सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत दिसंबर 2017 में तथा ₹ 9,517.65 लाख के बुक लाभ पर विशिष्ट प्रावधान (अधिनियम की धारा 115जेबी) के अन्तर्गत निर्धारिती कंपनी की संविक्षा निर्धारण को पूर्ण किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने ₹ 1,994.95 लाख की मांग के प्रति ₹ 7,666.47 लाख का टीडीएस क्रेडिट था। हालांकि, ₹ 5,671.52 लाख के प्रतिदाय (₹ 7,666.47 लाख - ₹ 1,994.95 लाख) को जारी करने बजाय निर्धारण अधिकारी ने उसी राशि को अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज को संशोधित किया जो दर्शाता है कि निर्धारण अधिकारी ने ब्याज की राशि में, प्रतिदाय को अवरूद्ध करने के लिए जानबूझकर संशोधन किया जो निर्धारिती को देय थी। अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत संशोधन को ₹ 170.15 लाख के ब्याज के परिर्हाय भुगतान सहित ₹ 5,671.52 लाख के प्रतिदाय को जारी करने के लिए दिसंबर 2018 में किया गया था।

(घ) प्रभार: प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली; नि.वर्ष: 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने अक्तूबर 2017 में, शुन्य आय पर सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत तथा ₹ 12,755.93 लाख के बुक लाभ पर विशिष्ट प्रावधान (अधिनियम की धारा 115जेबी) के अन्तर्गत संविक्षा निर्धारण को पूर्ण किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने सितंबर 2015 को अपनी आय की रिटर्न फाईल की थी अर्थात निर्धारित समय सीमा के अन्दर जैसे कि अधिनियम की धारा 139(4) में निर्धारित है। जैसे कि, निर्धारिती, अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं था। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि यद्धपि अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत प्रणाली के माध्यम से कोई ब्याज परिकलित नहीं किया गया था, निर्धारण अधिकारी ने मैनुअल हस्ताक्षेपों के माध्मय से इसे संशोधित किया था तथा अपने निर्धारण आदेश में बिना औचित्य दिये इस धारा के अन्तर्गत ₹ 1,563.74 लाख तक की राशि के ब्याज का उदग्रहण किया। इसके अलावा निर्धारिती के आयकर रिटर्न (आईटीआर) से यह भी पाया गया कि निर्धारिती ने प्रतिदाय के रूप में ₹ 1,563.74 लाख की उसी राशि का दावा किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आईटीडी ने अपनी त्रुटिका तब सुधार किया जब निर्धारिती ने फरवरी 2018 में सेंन्ट्रलाईज्ड पब्लिक ग्रिवेन्स रेडरेस एण्ड मोनिटरिंग सिस्टम (सीपीजीआरएएमएस) पर अपनी शिकायत दर्ज की। आईटीडी ने अप्रैल 2018 में ₹ 1,837.39 लाख के प्रतिदाय को जारी किया,

जिसमे अधिनियम की धारा 244ए के तहत ₹ 39.09 लाख के ब्याज के परिहार्य भुगतान सहित ₹ 273.65 लाख का ब्याज शामिल था।

आईटीडी ने अपने उत्तर (अक्तुबर 2019) में बताया कि अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज का संशोधन मानवीय त्रुटिके कारण डेटा को भरने की एक चूक थी। तत्पश्चात्, धारा 154 के अन्तर्गत सुधार आदेश को अप्रैल 2018 में पास किया गया और उसके बाद निर्धारिती द्वारा दाखिल प्रतिदाय को स्वीकृत तथा जारी किया गया था।

उत्तर अस्वीकार्य था क्योंकि प्रतिदाय को निर्धारण के समय पीसीआईटी (केन्द्रीय-3) के निर्देशों के साथ रोका गया था। इस प्रकार आईटीडी की कार्यवाही शिकायतकर्ता करदाता को उत्पीड़न और वित्तीय कठिनाई की पुष्टि है।

(ड) प्रभार: प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली; नि.वर्ष: 2014-15

इस मामलें में, अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत सुधार आदेश को सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत ₹221.92 लाख की आय पर तथा ₹ 227.37 लाख की कर देयता के साथ अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 1084.79 लाख पर मई 2017 को पास किया गया था। अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत आदेश के स्नैपशॉट के अनुसार ₹ 1243.96 लाख का टीसीएस/टीडीएस कंपनी को उपलब्ध था, इसलिए कंपनी, अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं थी। धारा 234सी के अन्तर्गत एएसटी के माध्मय से कोई ब्याज परिकलित नहीं किया गया था जैसा कि स्नैपशॉट में दर्शाया गया था, क्योंकि यह निर्धारिती से देय नहीं था। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने, बिना औचित्य दिए मैनुअल संशोधन के माध्यम से अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत ₹ 966.58 लाख तक की राशि के ब्याज का उदग्रहण किया। लेखापरीक्षा में आगे पाया कि आईटीडी ने प्रतिदाय के लिए निर्धारिती के बार-बार किए गए अनुरोधों के बाद चूक में सुधार किया तथा आखिरकार अप्रैल 2018 में सीपीजीआरएएमएस पर शिकायत को उठाया। ₹ 125.66 लाख के ब्याज के परिहार्य भुगतान सहित ₹ 966.58 लाख के प्रतिदाय की प्रक्रिया को मई 2018 में आईटीडी द्वारा आरंभ किया गया था। इस प्रकार निर्धारण अधिकारी ने प्रतिदाय को रोकने के लिए प्रणाली में मैनुअल हस्तक्षेप का सहारा लिया जो कि निर्धारिती को देय था।

(च) प्रभार: प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली; नि.वर्ष: 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने ₹ 12,485.58 लाख की हानि पर मार्च 2016 में संविक्षा निर्धारण पूर्ण किया। चूंकि निर्धारण हानि पर किया गया था, इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं थी। इसके अलावा निर्धारिती द्वारा फाईल की गई आईटीआर से यह देखा गया कि निर्धारिती ने प्रतिदाय के रूप में ₹ 2,711.96 लाख तक की राशि के टीडीएस के कर क्रेडिट का दावा किया था। लेकिन निर्धारण अधिकारी ने मैनुअल हस्तक्षेप के माध्यम से ब्याज घटक को संशोधित किया तथा अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 2,695.29 लाख के ब्याज का उदग्रहण किया और अधिनियम की धारा 115ओ के अन्तर्गत कर वितरण लाभांश के रूप में ₹ 16.66 लाख लिये (जो कि निर्धारिती द्वारा पहले ही भुगतान किये गए थे)। इसके बाद, आईटीडी ने जुलाई 2016 में अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत सुधार आदेश पास किया तथा ₹ 40.68 लाख के ब्याज के परिहार्य भुगतान सहित ₹ 2,711.96 लाख तक की राशि के प्रतिदाय को जारी किया। इस प्रकार निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई यह दर्शाती है कि निर्धारण अधिकारी ने प्रतिदाय को रोकने के लिए प्रणाली में मैनुअल हस्तक्षेप का सहारा लिया था जो कि निर्धारिती को देय था।

उपरोक्त मामलों से यह स्पष्ट था कि निर्धारण अधिकारी ने प्रतिदाय की राशि की सीमा तक के ब्याज के उदग्रहण के माध्यम से मैनुअल संशोधन करके निर्धारिती को स्वीकार्य प्रतिदाय राशि को रोके रखा था, जबकि उपलब्ध कर क्रेडिट कर से अधिक था अथवा ऐसे मामले जहां कोई कर उदग्रहण योग्य नहीं था। इसे एएसटी स्नैपशॉट के संबंधित कॉलम में संशोधन के लिए बिना कोई कारण दिये किया गया था।

इसके अलावा, 1,130 मामलों में से जहां प्रतिदाय को ब्याज राशि के संशोधित करने के द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया था, लेखापरीक्षा 175 मामलों की पहचान कर सका जहां प्रतिदायोंको एक माह से 156 माह के विलंब के बाद निर्धारिती को जारी किया गया था। ऐसे 175 मामलों के विवरण को निम्न तालिका 5.16 में दिया गया है:

तालिका 5.16: अवरूद्ध प्रतिदाय से संबंधित मामलों के विवरण			
निर्धारिती को अवरूद्ध प्रतिदाय को जारी करने में देरी की अवधि	**अवरूद्ध प्रतिदाय मामलों की संख्या**	**अवरूद्ध प्रतिदाय की राशि (₹ लाख में)**	**अधिनियम की धारा 244ए के अन्तर्गत ब्याजकाको अतिरिक्त (परिहार्य) भुगतान (₹लाख में)**
1	**2**	**3**	**4**
≤12 माह	86	47,179.78	1,842.69
>12 माह तथा ≤24 माह	49	22,493.88	2,121.79
>24 माह तथा ≤36 माह	25	5,537.44	831.92
36 माह से अधिक	15	1,983.70	478.19
कुल	**175**	**77,194.80**	**5,274.59**

इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिक ब्याज के अनियमित उदग्रहण के द्वारा ना केवल प्रतिदाय राशि अवरूद्ध हुई जिससे निर्धारिती को अनुचित उत्पीड़न और कठिनाई हुई, इससे प्रतिदाय पर ब्याज की भारी राशि के परिहार्य भुगतान के रूप में सरकारी खजाने पर अतिरिक्त भार भी पड़ा। इससे आईटीडी द्वारा नागरिक चार्टर में किए गए वादों का अननुपालन हुआ, क्योंकि, समय सीमा के अन्दर निर्धारिती को प्रतिदाय जारी करने के बजाय, ब्याज घटक में निर्धारण अधिकारी द्वारा मैनुअल संशोधन के माध्यम से प्रतिदायों को अवरूद्ध किया गया था।

5.8.4.2 अनियमित रूप से जारी किया गया प्रतिदाय निर्धारिती को देय नहीं

प्रा. सीआईटी-3, लुधियाना प्रभार, पंजाब में लेखापरीक्षा ने 146 मामलों में पाया कि अधिनियम की धारा 143(1) के अन्तर्गत संसाधित कोई प्रतिदाय निर्धारिती को देय नहीं था। तथापि ₹ 63.63 लाख तक की प्रतिदाय राशि को अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत सुधार करने के द्वारा निर्धारिती को जारी किए गये थे (सितंबर 2016 से फरवरी 2018 तक)। विभाग द्वारा की गयी (जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक) आंतरिक जांच के आधार पर, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दायर की गई थी (अप्रैल 2018)।

लेखापरीक्षा के द्वारा बताए जाने पर कि ऐसे निर्धारितियों को प्रतिदाय क्यों जारी किया गया जिनके प्रति कोई प्रतिदाय देय नहीं था, आईटीडी ने बताया (135 मामलों में) कि ये प्रतिदाय निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गये थे क्योंकि मामले सीपीसी-बेंगलूरू में केन्द्रीय रूप से संसाधित किए गये थे। प्रणाली में एक वकील के साथ मिल कर डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा अनधिकृत रूप से अभिगम किया था तथा अनुचित सुधारों को करते हुए

प्रतिदाय जारी किया था। उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दायर की गई थी।

यह तथ्य इसे इंगित करता है कि आईटीडी के पास प्रणाली में अनधिकृत अभिगम का प्रबंधन करने के स्थान पर कोई प्रभावी अभिगम नियंत्रण नहीं है। यह अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र को भी दर्शाता है जो विभिन्न सुरक्षा जोखिमों को संबोधित नहीं करता।

5.8.5 आयकर कारोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) के माध्यम से परिकलित गलत ब्याज

किसी भी मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का सार यह है कि गणना विशेष रूप से, ब्याज गणना प्रणाली के मामले में, प्रणाली में भरे गए एक उचित सूत्र पर आधारित होनी चाहिए और किसी भी संशोधन को करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आईटीडी ने अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अन्तर्गत ब्याजों के संशोधन के संबंध में मानव हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 से आयकर कारोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) मोड्यूल को अपनाया क्योंकि वह पहले सॉफ़्टवेयर में एएसटी में प्रचलित था। इसके बाद, आईटीडी में निर्धारण कार्रवाई केवल आईटीबीए में की जा रही है।

हमने पाया कि 6,217 मामले (लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गये) जिन्हें नि.वर्ष 2016-17 तथा नि.वर्ष 2017-18 में एएसटी के माध्यम से संसाधित किया गया था, में से 496 मामलों को नि.वर्ष 2018-19 में आईटीबीए के माध्यम से संसाधित/पूर्ण किया गया था। इसके अलावा, यह देखने के लिए कि क्या ब्याज का सही परिकलन इस अनुप्रयोग के माध्यम से किया जा रहा था, हमने 496 मामलों की जांच की जिन्हें आईटीबीए के माध्यम से संसाधित किया गया था। 496 मामलों में से हमने 32 मामलों में शामिल ₹ 2,297.95 लाख का कर प्रभाव पाया जिसके ब्याज का परिकलन भी आईटीबीए के माध्यम से भूलवश किया गया था। इस प्रकार, ब्याज की गणना के सम्बंध में प्रणाली की कमी अभी भी नए अनुप्रयोग अर्थात, आईटीबीए में बनी हुई है

ऐसे तीन निर्देशित मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-।।, मुम्बई; नि.वर्ष: 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने ₹ 4,177.23 लाख[92] की आय पर आईटीबीए के माध्यम से दिसम्बर 2018 में संविक्षा के बाद बैंक की आय का निर्धारण किया।

[92] विशेष प्रावधान के तहत (अधिनियम की धारा 115 जेबी)

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने रिटर्न फाईल करने की देय तिथि अर्थात 30 नवम्बर 2016 को अपनी आय की रिटर्न फाईल की थी। इसके अलावा, निर्धारिती ने 31 मार्च 2018 को देय तिथि के प्रति 27 मार्च 2018 को अपनी संशोधित आय की रिटर्न फाईल की थी। जैसे कि, आयकर रिटर्न प्रेषित करने में चूक के संबंध में अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज तत्कालीन मामलों में उदग्रहण योग्य नहीं था। तथापि, आईटीबीए के माध्यम से उत्पन्न कर मांग को गणना करते समय अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज ₹ 395.08 लाख तक उदग्रिहत किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप समान राशि द्वारा अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज की अधिक उगाही की गई।

(ख) प्रभार: प्रा. सीआईटी डीडीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय)-I, देहरादून; नि.वर्ष: 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने आईटीबीए के माध्यम से जनवरी 2019 में संविक्षा के बाद निर्धारिती कंपनी की आय का निर्धारण किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आय की रिटर्न को फाईल करते समय निर्धारित ने ₹ 7,549.58 लाख के भुगतान योग्य कर के प्रति ₹ 12,628.87 लाख का टीडीएस क्रेडिट था। इसके अलावा गणना पत्रक को आईटीबीए के माध्यम से जनरेट किया गया था जो दर्शाता है कि विभाग ने ₹ 9,147.09 लाख की कर देयता के प्रति 10.812.50 लाख के टीडीएस क्रेडिट को अनुमत किया था। इसलिए, अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज के उदग्रहण के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि, आईटीबीए मॉडयूल ने ₹ 246.19 लाख तक राशि का अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज उदग्रहित किया गया था। आईटीबीए मॉडयूल में प्रणाली के माध्यम से अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज का गलत उदग्रहण अनुप्रयोग में त्रुटि को दर्शाता है जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

(ग) प्रभार: प्र. सीआईटी (एलटीयू) बेंगलुरू; नि.वर्ष: 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने ₹58,754.86 लाख की आय पर आईटीबीए के माध्यम से दिसंबर 2018 में संविक्षा के बाद निर्धारिती कंपनी की आय का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने 30 नवंबर 2015 को अपनी आय की रिटर्न भरने की देय तिथि के प्रति 23 नवंबर 2015 को अपनी आय की रिटर्न फाईल की। जैसे कि, आयकर रिर्टन को प्रेषित करने में चूक के संबंध में अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज तत्कालीन मामले में उदग्रहण योग्य नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईटीबीए के माध्यम से उत्पन्न कर

मांग की गणना करते समय ₹697.06 लाख की राशि का अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज उदग्रहित किया गया था। *आईटीडी ने अपने उत्तर में (नवम्बर 2019) बताया कि, निर्धारण आदेश में, ब्याज को स्वचालित वातावरण में आईटीडी द्वारा परिकलित किया गया है और संगणना में निर्धारण अधिकारी की कोई भूमिका नहीं है। इस प्रकार, यह चूक निर्धारण अधिकारी की ओर से नहीं है। आईटीडी ने जनवरी 2019 में अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत चूक में सुधार किया।*

'आयकर विभाग में आईटी अनुप्रयोग' पर हमारी पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा (2012-13 की प्रतिवेदन सं. 23) में, एएसटी प्रणाली में कमियों के पता चलने के बाद मंत्रालय ने बताया था कि मौजूदा आईटीडी अनुप्रयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए आयकर कारोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) आईटीडी द्वारा किया जा रहा था, तथा मौजूदा प्रणाली से संबंधित सभी मामले को नए अनुप्रयोग अर्थात आईटीबीए में ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा 30 मई 2014 को भारत सरकार को प्रस्तुत की गई कर प्रशासन सुधार कमीशन (टीएआरसी) के प्रतिवेदन में यह उजागर किया गया था कि आईटीडी अनुप्रयोग अर्थात एएसटी का कोर मॉडयूल विचित्र और असमान है जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली में गलत मांगों का सृजन होता है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह बताया गया कि हालांकि 'सीबीडीटी की आईटीबीए के माध्यम से प्रमुख अन्तरालों पर काबू पाने की योजना है'।

तथापि, 32 मामलों के संबंध में अभ्युक्तियां, जहां आईटीबीए के माध्यम से ब्याज का परिकलन गलत रूप से दिया गया, इस तथ्य को दर्शाती हैं कि नये अनुप्रयोग अर्थात आईटीबीए में ब्याज की गणना के संबंध में प्रणाली में कमियां मौजूद है।

5.8.6 अन्य अनुपालन मामले

यह पैरा 2018-19 की अवधि के लिए की गयी हमारी नियमित लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अभ्युक्तियों से संबंधित है। हमने अधिनियम की धारा 234ए, 234बी तथा 234सी के अन्तर्गत ब्याज के संबंध में ₹ 1,10,269.82 लाख के कर प्रभाव के 134 मामलों को पाया।

ऐसे छह निर्देशित मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(क) प्रभार: पीसीआईटी-1, कोईमबटूर, चेन्नई; नि.वर्ष: 2009-10

निर्धारण अधिकारी ने ₹ 761.50 लाख की आय पर दिसंबर 2016 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अन्तर्गत निर्धारिती

कंपनी के निर्धारण को पूर्ण किया। लेखापरीक्षा संविक्षा यह प्रकट करती है कि ₹ 20.71 लाख पर अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज अक्टूब 2009 से दिसम्बर 2016 की अवधि के लिए ₹ 225.19 लाख के स्थान पर प्रणाली (एएसटी) माध्यम से परिकलित किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 204.48 लाख तक की राशि के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत आदेश पास करके चूक में सुधार किया (सितंबर 2017)।*

(ख) प्रभार: प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-I दिल्ली; नि.वर्ष: 1995-96, 1996-97 और नि.वर्षों 1997-98

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 1998, मार्च 1999 तथा मार्च 2000 में क्रमश: ₹ 1,527.39 लाख, ₹ 5,572.94 लाख तथा ₹ 15,441.84 लाख पर नि.वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के लिए एक व्यक्ति के आय का निर्धारण किया। निर्धारिती ने सीआईटी (अपील) लखनऊ के समक्ष इन निर्धारण आदेशों के प्रति अपील की है जहां दिनांक 04 जुलाई 2016 के अपने आदेश के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आखिकार निर्णय लिया। अपील को अगस्त 2016 में निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रभावी किया गया, जिसमें निर्धारण अधिकारी ने गलत तरीके से निर्धारिती द्वारा अग्रिम कर की भुगतान में चूक के लिए अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत निर्धारित दरों से कम ब्याज दरों का प्रयोग किया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 3,352 लाख के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (अक्तूबर 2017) तथा अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत आदेश पास करके चूक में सुधार किया (सितंबर 2017)।*

(ग) प्रभार: सीआईटी एलटीयू, बेंगलूरू, कर्नाटक; नि.वर्ष: 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने ₹ 7,82,161.61 लाख की आय पर संविक्षा के बाद दिसंबर 2017 में बैंक के निर्धारण को पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया है कि अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज की गणना करते समय आईटीडी ने ₹ 3,934.44 लाख तक की ब्याज राशि का कम उदग्रहण किया। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत आदेश पास करके चूक में सुधार किया (मार्च 2019)।*

(घ) प्रभार: पीसीआईटी-4, दिल्ली; नि.वर्ष: 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1,66,028 लाख तथा उस पर ₹ 56,432.90 लाख की कर देयता पर दिसंबर 2017 में निर्धारिती कंपनी की आय का निर्धारण

किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी के साथ-साथ एएसटी प्रणाली ने अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज का उदग्रहणइस तथ्य के बावजूद नहीं किया, कि निर्धारिती द्वारा प्रदत्त अग्रिम कर रिटर्न की गई आय पर देय कर से कम था। ब्याज की गणना में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 955.38 लाख के कर की कम उगाही हुई। यह इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाता है कि आईटीडी अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत सही ब्याज का उदग्रहण करने में विफल हो गया था और प्रणाली भी निर्धारिती की अन्तिम मांग की गणना करने में अक्षम थी। *आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154/250 के अन्तर्गत आदेश करके चूक में सुधार किया (फरवरी 2019)।*

(ड) प्रभार: पीसीआईटी-I, भुवनेश्वर, ओडिसा नि.वर्ष: 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1,68,887.69 लाख की आय पर दिसम्बर 2017 में निर्धारिती कंपनी की आय का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्धपि निर्धारिती कंपनी ने अग्रिम कर की किस्त के भुगतान में चूक की थी, अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज का उदग्रहण नहीं किया गया था। अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत प्रावधानों के पालन के लिए आईटीडी की ओर पर विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 111.78 लाख के ब्याज का गैर उदग्रहण हुआ। *आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत सुधार आदेश को पास करके चूक का सूधार किया (नवम्बर 2019)।*

(च) प्रभार: पीसीआईटी-II, हैदराबाद; नि.वर्ष: 2008-09

निर्धारिती कंपनी के मामलें को ₹ 4,094.11 लाख की आय तथा उस पर ₹ 1,293.13 लाख के कर को मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के अन्तर्गत निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा की जांच ने यह प्रकट किया कि, अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 956.85 लाख पर ब्याज की सही राशि की गणना करने के बजाय, एएसटी के माध्यम से ब्याज ₹ 237.81 लाख पर परिकलित किया गया था। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से परिकलित गलत ब्याज को सही करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, प्रणाली के माध्मय से गणना में चूक तथा इस संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई उपचारी कार्रवाई ना करने के परिणामस्वरूप ₹ 719.04 लाख के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत आदेश पास करके चूक में सुधार किया (फरवरी 2019)।*

5.9 निष्कर्ष

क. प्रणालीगत कमियों के कारण अथवा निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत हस्तक्षेप के कारण 8,35,727 अभिलेखों की संख्या में से चयनित 6,217 के नमूनों के मामलों के 76.68 *प्रतिशत*[93] में आईटीडी द्वारा ब्याज को गलत रूप से परिकलित किया गया था।

ख. अन्य आईटीडी मॉडयूल के इनपुट को एएसटी प्रणाली में उचित रूप से कैप्चर नहीं किया जा रहा था इसके परिणामस्वरूप काफी मामलों में ब्याज का गलत परिकलन हुआ जिससे अंतिम कर संग्रहण तथा प्रतिदाय पर प्रभाव पड़ा।

ग. निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अन्तर्गत प्रणाली के माध्यम से परिकलित गलत ब्याज को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, भले ही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्याज के मूल्य को संशोधित करने के लिए निर्धारण अधिकारी को एएसटी प्रणाली ने अनुमत किया, जिसके परिणामस्वरूप या तो कम उदग्रहण/भुगतान हुआ अथवा ब्याज का अधिक उदग्रहण/भुगतान हुआ।

घ. निर्धारण अधिकारी ने कुछ मामलों में प्रणाली के माध्यम से परिकलित गलत ब्याज को अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के तहत संशोधित किया। तथापि इन सभी मामलों को सही राशि पर संशोधित नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज का या तो कम उदग्रहण/भुगतान अथवा अधिक उदग्रहण/भुगतान हुआ।

ङ. जहां ब्याज की सही राशि को प्रणाली के माध्यम से परिकलित किया गया था वहाँ निर्धारण अधिकारी ने ब्याज राशि को मैनुअल रूप से संशोधित किया, जो कि उचित नहीं था, इसके परिणामस्वरुप ब्याज का या तो कम उदग्रहण/भुगतान अथवा अधिक उदग्रहण/भुगतान हुआ जिसके कारण करदाता को कठिनाई तथा उत्पीड़न हुआ।

यह स्पष्ट नहीं है कि मानवीय रुप से संशोधन को क्यों अनुमत किया गया है, यदि अपवादात्मक मामलों में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो वह भी स्पष्ट रुप से वरिष्ठ स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के प्रोटोकोल के बिना। वास्तव में यदि प्रत्येक स्तर पर

[93] 6,217 निर्धारण मामलों में से 4,767 निर्धारण मामले जिन्हे लेखापरीक्षित किया गया था।

मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है या उसे जारी रखा जाता है तो यह या तो खराब आईटी सिस्टम की ओर अथवा विवेकाधिकार बनाए रखने के लिए बिना स्पष्ट कारण के जानबूझकर प्रयास की ओर इंगित करता है।

च. एएसटी की संशोधन विशेषता का प्रयोग करते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज के गलत उदग्रहण (अधिक उदग्रहण) परिणामस्वरूप न केवल निर्धारिती को देय प्रतिदाय को अवरूद्ध किया गया, बल्कि नागरिक चार्टर द्वारा किये गये वादों को भी पूरा नहीं किया जा सका। इससे एक तरफ विभाग की दक्षता प्रभावित हुई और दूसरी तरफ निर्धारिती का अनुचित उत्पीडन हुआ।

छ. सभी आयकर रिटर्न (आईटीआर) पहले केन्द्रीयकृत संशोधन केन्द्र (सीपीसी), बेंगलूरू मे धारा 143(1) के अन्तर्गत संक्षिप्त रूप में संसाधित की जाती है। सीपीसी द्वारा आईटीआर को संसाधित करना पूर्णतया स्वचालित माना जाता है। तथापि, निर्धारिती के प्रतिदाय को सीपीसी के माध्यम से संक्षिप्त तरीके से संसाधित मामलों में भी ब्याज राशि को संशोधन करके अवरूद्ध किया गया था।

ज. करों का निवल संग्रहण प्रतिदायों[94] के लिए अनुमत करके परिकलित किया जाता है। इसलिए अवरूद्ध प्रतिदायों का परिणाम बढ़ा हुआ निवल कर संग्रहण होता है। इसके अलावा ब्याज के अधिक उदग्रहण के कारण निर्धारिती से अनुचित कर मांग के परिणामस्वरूप विवाद तथा इसके अलावा अधिक बकाया होता है। इस प्रकार, प्रतिदाय का अवरूद्ध होना तथा अधिक मांग सरकार के राजस्व संग्रहण पर परिणामी प्रभाव डालते हैं।

5.10 सिफारिशें

क. सीबीडीटी कर तथा ब्याज की गणना में त्रुटि को बारंबार रोकने के लिए इन्कम टैक्स बिजनेस एप्लिकेशन (आईटीबीए) मे उचित नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था करे।

ख. प्रत्यक्ष कर के लिए आईटी प्रणाली को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि निर्धारिति तथा आयकर अधिकारियों के मध्य शुन्य या कम से कम व्यक्तिगत सम्पर्क हो। सरकार प्रत्यक्ष करों के लिए

[94] सीबीडीटी अकाउंटस मैनुअल का पैरा 7.2.2.

आईटी प्रणाली को सीबीडीटी से एक उचित दूरी पर एक स्वतंत्र सरकारी संस्था या संगठन के साथ रखने पर विचार कर सकती है।

ग. एएसटी मॉड्यूल ब्याज राशि के मानवीय संशोधन की अनुमति देता है जिसके परिणामस्वरुप ब्याज की गणना में त्रुटियाँ हुई हैं। आईटीडी को एएसटी के माध्यम से ब्याज की गणना में त्रुटियों के कारण और आईटी सिस्टम में मानवीय संशोधन की अनुमति देने के कारणों के बारे में जाँच करनी चाहिए।

घ. प्रणाली को निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए संशोधन, यदि कोई हो तो, का लेखापरीक्षा ट्रेल उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए संशोधनों के लिए सभी औचित्य प्रणाली में उपलब्ध होना चाहिए।

ङ. सीबीडीटी यह जाँच करे कि क्या पाई गई 'त्रुटियों' के दृष्टांत भूल के या जानबूझ कर किए गये त्रुटियों के हैं और यदि ये जानबूझ कर की गई त्रुटियां हैं, तो आईटीडी को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

च. आईटी विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कि समान प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृति का जोखिम कम से कम हो एओ की जवाबदेही तय करे ।

छ. सीबीडीटी यह सुनिश्चित करे कि निर्धारिती को देय प्रतिदाय निर्धारित समय सीमा में जारी किया जाए, मैनुअल हस्तक्षेप द्वारा इसे रोकने/अवरूद्ध करने के बजाय नागरिक चार्टर के माध्यम से इसके वादों को कायम रखा जाए।

ज. ब्याज का कम प्रभार करने के साथ-साथ प्रतिदाय को अवरूद्ध करने के संबंध में निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई को जांचा जाऐ।

झ. जबकि लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों के नमूने का परिक्षण किया है, एएसटी में संशोधन किए गए हों वहाँ सभी मामलों की जाँच करनी चाहिए। सीबीडीटी को चूक और जानबूझकर की गई गलती के मामलों की पहचान करनी चाहिए एवं कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।